

पत्रांक-05/बी01-09/2016

बिहार सरकार,  
शिक्षा विभाग,

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, महेन्द्र, पटना।

पटना, दिनांक ...../

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना अन्तर्गत स्थापना मद में अतिरिक्त आवंटन।  
महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-004-अनुसंधान, उप शीर्ष-0018-राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, विपत्र कोड संख्या- एन 2202800040018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नांकित मदों में अंकित राशि रू0 14,00,000 /-(चौदह लाख रुपये) मात्र आपको अतिरिक्त आवंटित की जाती है।

विवरण

क्रमांक	कोड संख्या/ मद	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	11 01-यात्रा व्यय	100000	100000	200000
2	13 01-कार्यालय व्यय	600000	200000	800000
3	13 04-विद्युत प्रभार	700000	500000	1200000
4	14 01-किराया महसूल एवं कर	1000000	300000	1300000
5	28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	900000	300000	1200000
	कुल योग :-	33,00,000	14,00,000	47,00,000

तत्काल आवंटित राशि 14,00,000 /-(चौदह लाख रुपये) मात्र।

- यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि0-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 423 दिनांक-31.03.2016, 2793 दिनांक-04.04.2016 एवं 4572 दिनांक-03.06.2016 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
- प्राप्त आवंटन से विधिवत रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विषय शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
7. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
8. मितव्ययिता अवश्य बरतें।
9. राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जाय।
10. विभागीय पुनर्विनियोग स्वीकृत्यादेश संख्या-63 दिनांक-24.03.17 द्वारा इस विपत्र कोड के विषय शीर्ष-11 01-यात्रा व्यय में 1,00,000/-(एक लाख रू०) मात्र, 13 01-कार्यालय व्यय में 2,00,000/-(दो लाख रू०) मात्र 13 04-विद्युत प्रभार में 5,00,000/-(पाँच लाख रू०) मात्र, 14 01-किराया महसूल एवं कर में 3,00,000/-(तीन लाख रू०) मात्र एवं 28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ में 3,00,000/-(तीन लाख रू०) मात्र अर्थात् कुल 14,00,000/-(चौदह लाख रू०) मात्र वित्तीय वर्ष 2016-17 में पुनर्विनियोग द्वारा अतिरिक्त बजट उपबंध कराया गया है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(विनोद कुमार सिंह),

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- 365

पटना, दिनांक:- 28/3/17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी पटना सिटी, पटना/जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/प्रशाखा-05/गार्ड फाईल/आई० टी० मैनेजर/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

(विनोद कुमार सिंह),

सरकार के विशेष सचिव।